आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य तथा
सुश्री मधुमिता रॉय, न्यायिक सदस्य के समक्ष
आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 388 /इंदौर/2018
निर्धारण वर्ष : 2010-11

आयकर आयुक्त 5 (1), इंदौर	बनाम	श्री सुनील नारंग प्रो.अनिल ब्रदर्स, इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएक्यूपीएन 1525 के		

राजस्व की ओर से :	श्री राजीब जैन, आयकर आयुक्त
निर्धारिती की ओर से :	सर्वश्री एस.एन. अग्रवालस तथा पंकज मोगरा, सीए
सुनवाई तिथि :	17.08.2021
उद्घोषणा तिथि :	17.08.2021

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2010-11 से संबंधित राजस्व की उपरोक्त अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-II, इंदौर द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(1)(सी) के अधीन पारित आदेश दिनांक 16.01.2018 के विरूद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर निदेशित हैं ।

2. इस अपील में राजस्व द्वारा लिए गए अपीलों के आधार निम्न रूप से है-

कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में,

1. विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(1)(सी) के अधीन अधिरोपित रु. 60,00,000/- की शास्ति हटाने में भूल की है जबकि निर्धारिती ने धारा 54 एफ के अधीन आवश्यक शर्तों की पूर्ति नहीं की है ।
2. विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने विधिक मुद्दे पर शास्ति हटाने में भूल की है जबकि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है कि धारा 271(1)(सी) के अधीन शास्ति कार्यवाही आय के गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए आरंभ की गई है ।

3. सुनवाई के प्रारंभ में ही निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि क्वांटम परिवर्धन जिसके आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित की गई थी, उसे विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा हटाया गया है तथा उक्त अपील के विरूद्ध राजस्व की अपील को माननीय आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ द्वारा न्यून कर प्रभाव के कारण खारिज किया गया है । अतः वर्तमान अपील में शास्ति अस्तित्व में नहीं रहेगी ।

4. विद्वान वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन का खंडन नहीं कर पाये ।

5. हमने परस्पर विरोधी निवेदनों को सुना है तथा हमारे समक्ष उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है । हमने पाया कि वर्तमान प्रकरण में निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 54 एफ के अधीन गलत दावे के लेखे शास्ति अधिरोपित की थी । निर्धारिती ने इसके विरूद्ध विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की तथा सफल हुआ । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने क्वांटम परिवर्धन को हटाया है जिसके आधार पर

शास्ति अधिरोपित की गई थी । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के परिवर्धन हटाने के आदेश के विरूद्ध इस अधिकरण के समक्ष राजस्व की अपील सं. 387/इंदौर/2018 अधिकरण के आदेश दिनांक 22.08.2019 के द्वारा न्यून कर प्रभाव के कारण खारिज की गई है । इस प्रकार, परिवर्धन जिसके आधार पर शास्ति अधिरोपित की गई थी, वह स्वतः अस्तित्व में नहीं है । अतः हमारा विचारपूर्ण अभिमत है कि जब वे परिवर्धन ही हटाये गये हैं जिनके आधार पर आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अधीन शास्ति अधिरोपित की गई हैं, तब उन पर अधिरोपित शास्ति भी अस्तित्व में नहीं रहेगी अतः हम विचाराधीन निर्धारण वर्ष के लिए आयकर आयुक्त (अपील) के आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अधीन शास्ति हटाने के आदेश की पुष्टि करते हैं तथा राजस्व की अपील खारिज करते है ।

6. परिणामतः, राजस्व की अपील खारिज की जाती है ।

यह आदेश 17.08.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(मधुमिता रॉय)	(मनीष बोरड)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 17.08.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल